




महोदय जी,

निवेदन है कि आंक लालपुरा के खान-
33 में नारायण पिता बालु दर्ज है, जबकि
पार्सी के आद्याल कार्ट न0-2209 3973 8825 में
नारायण लाल पिता बालु दर्ज है ये उक्त
खाना सं0 33 में नारायण पिता बालु के बजाय
नारायण लाल पिता बालु दर्ज करके उचित है


IR अलमास
14-10-2021


रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार


रिपोर्ट पठे एवं IR के अनुसार सुद्धि
किया जाना उचित है


तहसीलदार (भू.अ.) माण्डल
जिला-भीलवाड़ा

::आदेश::

तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के अनुसार खान संख्या
33 में नारायण पिता बालु के बजाय नारायण लाल पिता
बालु किये जाने का आदेश दिया जाता है


चौधरी सुधाकर
उपसंचालक अधिकारी एवं
प्रशासनिक पदेन सहायक 14-10-2021

